कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-मुंगेली (छ.ग.)

//प्रेस-विज्ञप्ति//

---00---

आबकारी विभाग मुंगेली द्वारा
मुंगेली के अम्बेडकर वार्ड मुंगेली में छापेमार कार्यवाही,
5.40 लीटर देशी मदिरा प्लेन जप्त

जिले में अवैध शराब पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर मुंगेली, श्री कुन्दन कुमार द्वारा दिये गये निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी, श्री रविशंकर साय के कुशल मार्गदर्शन में आबकारी विभाग मुंगेली की कार्यवाही निरंतर जारी है। इसी तारतम्य में **आबकारी वृत्त-मुंगेली** के आबकारी उप निरीक्षक, श्री जयसिंह मरकाम के नेतृत्व में गठित जिले की संयुक्त टीम द्वारा **दिनांक 03.07.2026 दिन शुक्रवार** को वार्ड क्रमांक 07 अम्बेडकर वार्ड, थाना मुंगेली में **5.40 लीटर देशी मदिरा प्लेन** जप्तकर आरोपी रामसिंह खाण्डेकर, पिता फूलसिंह खाण्डेकर, उम्र 54 वर्ष, साकिन वार्ड क्रमांक 07 अम्बेडकर वार्ड, थाना मुंगेली, जिला-मुंगेली (छ.ग.) के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की गैर जमानती धारा 34(1)(क), 34(2) व 59(क) के तहत् प्रकरण कायम किया गया। माननीय न्यायालय निर्देश पर आरोपी को ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल दाखिल कराया गया।

उक्त कार्यवाही में जिले के आबकारी स्टॉफ शामिल रहे।

Digitally signed by
RAVISHANKAR SAI
Date: 2026.07.03 19:03:08
+05'30'

जिला आबकारी अधिकारी
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/आब./अपराध/2026/1392 मुंगेली, दिनांक :-03.07.2026

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला-मुंगेली (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. जनसंपर्क अधिकारी, जिला-मुंगेली (छ.ग.) की ओर, सभी समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।

Digitally signed by
RAVISHANKAR SAI
Date: 2026.07.03 19:03:23
+05'30'

जिला आबकारी अधिकारी
जिला-मुंगेली (छ.ग.)